उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

6/7/2022 पत्रावली फा.सं. बाबूलाल इत्या. प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल दावे का निस्तारण हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मूल दावे के दावे निस्तारण के साथ कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मूल दावे के निस्तारण के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के क्रम अनुसार क्रमांक नम्बर के कम हो व दाखिल दफ्तर हो

6/7/22

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.16 11:10:52 IST
Reason: SelfAttested